

16.7.24

पत्रावली के डुई वादी अधिवक्ता अनुपस्थित हुए।
प्रकरण लम्बे समय से लमिल नियत है। न्यायालय द्वारा
ठक-कक्कर कई बार आदेश लगावर्डे गडे। बावजूद
दलके न्यायालय लमम समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ।
जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद से जीत उठाने की नहीं
है तथा वाद चलावा नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 मिनट 8 के तहत
अदम हाजरी - अदम परबी में खारिज किया जाता है। निर्णय
शेरेड जलाप सुनाया गया। प्रकरण फैलल शुमा होकर नबर
शे कर है।

ep

(शिवाजी)

IAS